IN THIS POLICY, INVESTMENT RISK IN THE INVESTMENT PORTFOLIO IS BORNE BY THE POLICYHOLDER

Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Grow Smart Plan UIN: 136L016V02

TERMS AND CONDITIONS

Introduction & Definitions 1.

1.1 This policy document evidences a legal contract between the Policyholder and Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited which has been concluded on the basis of the proposal form and other documents evidencing insurability of the Life Assured. This is a Unit Linked policy which enables the policyholder to receive death benefits and participate in the investment performance of the fund to the extent of units allocated against premiums paid. The policy does not confer a right on the policyholder to participate/share the profits or surplus of the business of the Company.

These terms and conditions are divided into numbered Clauses for ease of reference and reading. These divisions and the corresponding Clause headings do not limit the Policy or its interpretation in any way. References to any Act, regulation, guidelines etc shall include subsequent changes to the same. All references to 'age' shall refer to age as per the last birthday. The terms 'you', 'your' used in this document refer to the Policyholder and shall include the Nominee/Claimant for the purposes of payment of benefits in case the Policyholder is not the Life Assured. 'We', 'us' 'Company' or 'our' refers to Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Company Limited. The word "Authority" would refer to the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).

1.2 Definitions

- (a) Business Day means days other than holidays where stock exchanges with national wide terminals are open for trade (other than day on which exchanges are open for testing) or any day declared by the Authority as Business Day;
- (b) Date of Discontinuance means the date on which We receive Your response on the notice issued or the expiry of the notice period, whichever is earlier:
- Discontinued Policy Fund (ULIF01319/09/11POLDISCFND136) means the segregated fund maintained by the Company into which Fund Values under policies which are surrendered or where premium payment is discontinued during the Lock-in Period are credited subject to deduction of Discontinuance Charges as applicable, to be payable out to the respective Policyholders in accordance with the terms and conditions of this Policy, except in case of death of the Life Assured in which case the Fund Value shall stand payable. The Company shall levy Fund Management Charges as mentioned in Annexure-1. The amounts credited to the Discontinued Policy Fund shall earn atleast the Minimum Guaranteed Interest Rate;
- (d) Financial Year means 12 months period commencing from April 1st every year;
- (e) Fund Value means at any point in time, the total number of Units under the policy multiplied by the applicable Unit Price;
- Lock-in Period means the period of five consecutive years from the Policy Commencement Date during which no benefits shall be payable under this policy, except in case of death of the Life Assured;
- (g) Minimum Guaranteed Interest Rate means the rate applicable to discontinued policy fund as declared by the Authority from time to time. The current applicable interest rate is 4% per annum;
- (h) Net Asset Value ("NAV") means the market value of investments held under the Unit Linked Fund plus the value of any current assets and any accrued income net of Fund Management Charges (including any applicable Service Tax thereon) less the value of any current liabilities and provisions, if any,
- Paid Up Sum Assured means the amount calculated as Sum Assured multiplied by total number of premiums paid divided by the number of Premiums payable during the Policy Term;
- Revival Period means a period of 2 consecutive years during which period the Policyholder is entitled to Revive the Policy;
- (k) Unit Price means the price of each Unit under a fund arrived at by dividing the NAV by the total number of outstanding units in the respective Unit Linked Fund:
- Policy Year means the 12 calendar months period commencing from the Policy Commencement Date and ending on the day immediately preceding the first policy anniversary and each subsequent period of 12 consecutive months thereafter during the policy term;
- (m) Proceeds of the Discontinued Policy Fund means the Fund Value (less applicable Discontinuance Charges) of the respective Policyholder on the Date of Discontinuance after addition of interest computed at the minimum guaranteed interest rate. The excess income earned in the discontinued policy fund over and above the minimum guaranteed interest rate shall also be apportioned to the Discontinued Policy Fund in arriving at the proceeds of the discontinued policies and shall not be apportioned by the Company:
- (n) Unit means a portion or part of the underlying segregated Unit Linked Fund;
- (o) The Terms 'Risk Commencement Date', 'Policy Commencement Date', 'Policy Term', 'Sum Assured' 'Life Assured', "Premium Payment Term", "Policyholder', 'Nominee' and 'Appointee' shall mean the respective dates, amount or names mentioned against each of them in the Policy Schedule.
- Benefits under the Canara HSBC Oriental Bank of Commerce Life Insurance Grow Smart Plan

2.1 Death Benefit:

- (a) If the death of the Life Assured occurs on or after the Risk Commencement Date during the policy term while the policy is in force and not been surrendered and the claim is admitted, we will pay You higher of the following as Death Benefit:
- Sum Assured less partial withdrawals if any made during the two years period immediately preceding death of the Life Assured. In case Life Assured is aged 60 years or more at the time of Death, then all the partial withdrawals made after the Life Assured reaches 58 years of age would be deducted;
- (ii) Fund value as on the date of the registration of death claim by us;

- (iii) Hundred and Five percent of all premiums paid;
- (b) In case of death of the Life Assured while the Fund Value of your policy is held in Discontinued Policy Fund, the Proceeds of the Discontinued Policy Fund as on the date of registration of death claim shall be payable.
- (c) If the death of the Life Assured occurs during the policy is in Paid Up state, while the policy is not been surrendered and the claim is admitted, We will pay you higher of the following as Death Benefit:
- (i) Paid Up Sum Assured less partial withdrawals if any made during the two years preceding death of the Life Assured. In case Life Assured is aged 60 years or more at the time of Death, then all the partial withdrawals made after the Life Assured reaches 58 years of age would be deducted:
- (ii) Fund Value as on the date of the registration of death claim by us;
- (iii) Hundred and Five percent of all premiums paid;

<u>Note:</u> If the Life Assured commits suicide for any reason, while sane or insane, within one year from the Risk Commencement Date or within one year from the date of revival of the policy, no Death Benefit shall be payable under the policy and only the Fund Value as on the date of death shall be payable. Any charges recovered subsequent to the date of death shall be paid back along with the Fund Value.

This policy shall terminate on payment of the above benefits, or on our communicating the decision not to pay benefits under this policy as per the terms and conditions in line with applicable law.

2.2 Requirements for Death Benefit Claims

In the event of death of the Life Assured, to receive the benefits payable under this policy the nominee shall endeavor to tell us in writing within a period of 60 days of such death through the Claim Intimation Form along with the following documents: Original policy document, Claim formats provided by us (Claimant's statement, Treating hospital certificate, Attending physician's statement, Employer's certificate), Death certificate, First Information Report, Post mortem report (if applicable), your identity and address proofs, Hospital records/other medical records and such other documents as required by us for evaluation of your claim.

2.3 Loyalty Additions

In case all due premiums under the policy are paid, we will credit additional units into your Unit Account maintained under this policy in the form of Loyalty Additions at the end of the fifteenth policy year. The Loyalty Addition Units shall be the equivalent to 1% of your policy's Fund Value as at the end of the 15th Policy Year. The Loyalty additions once added to the Fund Value are guaranteed.

3. Special Features of the Plan

3.1 Increase/Decrease of the Sum Assured

After completion of five policy years and payment of all premiums due until then, you may at any time during the policy term request us to increase/decrease the Sum Assured without making any change to the premium payable or the term of the policy. Such increase/decrease in the Sum Assured can be exercised once in a Policy Year, subject to a total of three times during the entire Policy Term. For this purpose, you shall make an application in writing to us at least two months prior to the next Policy Anniversary. The following conditions shall apply for such requests:

- (a) The Life Assured should not be a Minor or aged above fifty years at the time of such request. In case of minor or aged above 50 years only decrease in Sum Assured shall be available at the time of request;;
- (b) Such increase/decrease shall be in accordance with the applicable Regulations, subject to underwriting acceptance and may result in increase or decrease in mortality charges depending on the nature of the request;
- (c) Medical expenses (if any incurred) as defined in Annexure 1

3.2 Partial Withdrawals

You have the right to make partial withdrawals from sixth Policy Year onwards or the Life Assured attaining 18 years of Age, whichever is later. The minimum amount that may be partially withdrawn in any one transaction shall be ₹10,000/-. Partial withdrawal at any time shall not result in the Fund Value after the partial withdrawal falling below one hundred twenty percent of the annual premium payable under this policy. Any partial withdrawal made shall be net of partial withdrawal Charges, as provided in Annexure 1. In case this Policy is absolutely assigned the "Assignee" shall be entitled to Partial Withdrawal as per the terms and conditions mentioned herein.

3.3 Redirection

You have the option to redirect the allocation of future premiums into one or more Unit Linked Funds available for investment in a different investment pattern from the option exercised previously. Redirection can be exercised from the second Policy Year only once during each Policy Year, and will be made on the date of receipt of a written request by Us.

3.4 Switching

You may change the investment pattern of the available units in your account by switching from one Unit Linked Fund to another (in whole or in part). The minimum amount to be switched or value of Units to be switched shall be ₹10,000/-. Requests for switching may indicate the percentage of Units in the respective funds to be switched or the amount representing the value of Units to be switched. Switching attracts charges mentioned in Annexure 1.

4. Regular Premium and effect of discontinuance of payment of Regular Premium:

You shall pay premium amounts at the frequency and for such term as indicated in the Policy Schedule at the respective due dates or before the end of Grace Period (30 days from the premium due date). If any premium is received before the due date, we may keep such amount in an advance premium account and adjust such sum towards premium on the applicable due date or refund such amounts to you. The premium can be paid in advance subject to the same Financial Year. Such advance premium if any paid by the Policyholder shall not carry any interest. The amounts in the advance premium account shall not be allocated into Units before the due date. All premiums shall be allocated in the respective Unit Linked Funds as chosen by you after deduction of charges as mentioned in Annexure 1.

4.1 Discontinuance of Regular Premiums

If any due installment of premium is not paid within the Grace Period we shall send a notice within fifteen days from the date of expiry of Grace Period. You may exercise any of the following options within Thirty days of receipt of such notice:

4.1.1 On Discontinuance of premium during the lock-in period:

- (i) Revival of policy within Revival Period; or
- (ii) Intimating Us of the intention to revive within Revival Period starting from the date of discontinuance of the policy; or
- (iii) Complete withdrawal from the policy without any risk cover
 - <u>NOTE</u>: Until the policyholder exercises his/her option or up to the expiry of notice period, whichever is earlier, the policy is deemed to be in force with risk cover as per terms and conditions of the policy.
- **4.1.1.1** On the date of discontinuance of the policy, the Fund Value less applicable discontinuance charges shall be transferred to the discontinued policy fund and life cover ceases. If option 4.1.1 (iii) is exercised within the notice period, the policy will be treated as surrendered and the surrender provisions as specified in Clause 5 shall be applicable. In case the policyholder does not exercise any of the options the treatment of such policy shall be in accordance with 4.1.1 (iii) above.
- **4.1.1.2** In case the Policyholder intimates his/her intention to revive the policy as per Clause 4.1.1 (ii) but does not revive the Policy within the revival Period, then at the end of the lock-in-period, provided that the revival period has expired at the end of lock-in period the proceeds of the discontinued policy shall be refunded to the policyholder.
- **4.1.1.3** In case the Policyholder intimates his/her intention to revive the Policy as per Clause 4.1.1 (ii) and does not revive the policy till Sixty days before the end of lock in period, provided that the revival period has not expired at the end of lock-in period, then the Company shall send a notice to the Policyholder Forty Five days before the end of the lock-in period to exercise one of the below options within a period of thirty days of receipt of such notice:
- (i) Revive the policy immediately; or
- (ii) Intimation to Revive the policy within Revival Period starting from the date of discontinuance of the policy;
- (iii) Payout the proceeds at the end of the lock-in-period; or
- (iv) Payout the proceeds at the end of the revival period.
 - In case the policyholder does not exercise any of the options within the notice period of thirty days, the treatment of such policy shall be in accordance with Clause 4.1.1.3 (iii). In case the Policyholder opts for option 4.1.1.3 (ii) then the fund value shall continue to remain in the discontinued policy fund till the policy is revived or up to the end of the revival period whichever is earlier. If the policy is not revived within the Revival Period, the Proceeds of the Discontinued Policy Fund shall be payable to the policyholder at the expiry of Revival Period.

4.1.2 On Discontinuance of premium after the lock-in period:

- (i) Revival of policy immediately; or
- (ii) Intimation to revive the policy within Revival Period starting from the date of discontinuance of the Premium; or
- (iii) Complete withdrawal from the policy without any risk cover; or
- (iv) Convert the policy into paid-up policy, with the paid-up sum assured in accordance with Section 113(2) of the Insurance Act, 1938 i.e. sum assured multiplied by total number of premiums paid to the original number of premiums payable as per the terms and conditions of the policy. The sum assured applicable for a paid up policy shall be the paid-up sum assured.
 - **NOTE**: Until the Policyholder exercises his/her option or up to the expiry of notice period, whichever is earlier, the policy is deemed to be inforce with risk cover as per terms and conditions of the policy.
- **4.1.2.1** If option 4.1.2 (iii) is exercised within the notice period, the policy will be treated as surrendered and all the surrendered provisions as specified in Clause 5 shall be applicable. In case the Policyholder does not exercise any of the options within the notice period of thirty days, the treatment of such policy shall be in accordance with Clause 4.1.2 (iii) above.
- **4.1.2.2** If option 4.1.2 (ii) is exercised and the Policyholder neither revives nor surrenders the Policy, then the Fund Value of the policy, as applicable, shall be refunded at the end of the Revival Period or at the end of the policy term, whichever is earlier. The policy is deemed to be in force with risk cover until the expiry of revival period or end of policy term, whichever is earlier, as per terms and conditions of the policy.

4.1.3 Transfer of Fund Value to Discontinued Policy Fund

During the Notice Period all Benefits including the right to Partial Withdrawals under this Policy shall continue to apply and all the Charges shall continue to be deducted. If the Date of Discontinuance of the Policy is during the lock-in period, then the Company shall transfer the Fund Value subject to deduction of Discontinuance Charges (as applicable) into the Discontinued Policy Fund.

- 4.2 Revive the Policy: In case due premiums are not paid before end of the notice period, you can apply for revival of the policy by submitting a written application along with all due premiums, during the period provided in the notice issued by us or within the Revival Period. Acceptance of the application for revival shall be subject to underwriting by Us. We reserve the right to revive the policy either on its original terms and conditions or on such other or modified terms and conditions as per our underwriting decision. The revival shall be effective from the date when we communicate the same in writing to You. Units against premium received for revival shall be allocated on the basis of the NAV applicable on the later of the following two dates (i) date of acceptance of the revival application by us; or (ii) date of realization of all the due premiums for revival. The policy shall be revived subject to the conditions mentioned below:
- (a) A policy can be revived any time before the end of the Policy term and within the revival period;
- (b) Revival shall be subject to the underwriting as per Company's board approved underwriting guidelines;
- (c) The revival of the policy will be effective after company's approval is communicated.

4.2.1 Revival of a policy discontinued during the lock-in period:

Where the Policyholder exercises the option to Revive the discontinued policy, the policy can be revived by restoring the risk cover along with the investments made in the segregated funds as chosen by the Policyholder, out of the discontinued policy fund, less the applicable charges in

accordance with the terms and conditions of the Policy. At the time of revival the Company shall:

- (a) Collect all due and unpaid premiums without charging any interest or fee;
- (b) Levy policy administration charge and premium allocation charge as applicable during the discontinuance period. No other charges shall be levied:
- (c) Add back to the Fund Value, the discontinuance charges deducted at the time of discontinuance of the policy;
- (d) Reinstate all the benefits as per the original terms and conditions of the policy.

4.2.2 Revival of a policy discontinued or being made paid-up after the lock-in period:

Where the Policyholder exercises the option to revive the discontinued policy or wish to revive the paid-up policy, the policy can be revived in accordance with the terms and conditions of the policy. At the time of revival, the company shall:

- (a) Collect all due and unpaid premiums without charging any interest or fee;
- (b) Levy premium allocation charge as applicable during the discontinuance period. No other charges shall be levied;
- (c) Reinstate the original Sum Assured in case the Policy was in paid-up state;
- (d) Reinstate all the benefits as per the original terms and conditions of the policy.

4.2.3 Revival of a policy discontinued or being made paid-up after the lock-in period:

Where the Policyholder exercises the option to revive the discontinued policy or wish to revive the paid-up policy, the policy can be revived in accordance with the terms and conditions of the policy. At the time of revival, the company shall:

- (a) Collect all due and unpaid premiums without charging any interest or fee;
- (b) Levy premium allocation charge as applicable during the discontinuance period. No other charges shall be levied;
- (c) Reinstate the original Sum Assured in case the Policy was in paid-up state;
- (d) Reinstate all the benefits as per the original terms and conditions of the policy;

5. Surrender & Termination

5.1 You can surrender this policy at anytime. On surrender, the life cover under the policy shall expire, policy shall terminate and cannot be revived thereafter. If the policy is surrendered before completion of the Lock-in Period, the Fund Value under the policy will be transferred to the Discontinued Policy Fund subject to deduction of applicable Surrender Charges as provided in Annexure 1 and Proceeds of the Discontinued Policy Fund at the end of the lock-in-period shall be payable to You. In case of a surrender request received by us after the Lock-in Period, the Fund Value shall be paid out to you immediately and this policy shall be terminated.

5.2 Auto termination of policy

If you have paid premiums due for the first five years under this policy, and if the Fund Value after five Policy Years falls below the equivalent of one annual premium on any monthly policy anniversary due to poor market performance, this policy shall terminate automatically and the Fund Value as on the date of such termination shall be payable to you.

Unit Account

For the purpose of this policy, we will maintain an account called the Unit Account, to which the premiums received under this policy, shall be credited, net of applicable Charges in the respective Unit Linked Funds in the proportion as chosen by you. The amount credited shall be utilized for purchase of Units at the applicable NAV in the Unit Linked Fund offered by us in respect of this policy.

7. Charges

We shall levy the Charges as detailed in Annexure 1 during the term of this policy. We reserve the right to revise the Charges, with the prior approval of the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), up to the maximum limits mentioned against each charge. All Charges are subject to applicable taxes and levies (present or future), including service tax, which shall be borne by you.

8. Unit Linked Funds

8.1 The Unit Linked Fund(s) offered by us as at the Policy Commencement Date and the indicative portfolio allocations and risk profiles of such Unit Linked Fund(s) are as follows:

1. Equity II Fund (SFIN: ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136)

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Equity	60%	100%	High	Generate long-term capital appreciation from active
Money Market	NIL	40%	Tilgii	management of a portfolio invested in diversified

2. Growth Plus Fund (SFIN: ULIF00913/09/10GROWTPLFND136)

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Equity	50%	90%	Medium to	Achieve capital appreciation by investing predominantly
Debt Securities	10%	50%	High	in equities, with limited investment in Fixed Income
Money market	NIL	40%	Tilgii	Securities.

3. Balanced Plus Fund (SFIN: ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Equity	30%	70%		Generate capital appreciation and current income, through a
Debt Securities	30%	70%	Medium	judicious mix of investments in equities and fixed income
Money market	NIL	40%		securities.

4. Debt Plus Fund (SFIN: ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136)

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Debt Securities	60%	100%	Low	Earn regular income by investing in high quality Debt
Money market	NIL	40%	to Medium	securities.

5. Liquid Fund (SFIN: ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136)

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Debt Securities*	NIL	60%	Low	Generate reasonable returns commensurate with low
Money market	40%	100%	LOW	risk and a high degree of liquidity.

6. Discontinued Policy Fund** (SFIN: ULIF01319/09/11POLDISCFND136)

Assets	Minimum	Maximum	Risk profile	Objective
Government	60%	100%		To generate reasonable returns on funds from discontinued
Securities			Low	policies determined in accordance with the Regulations.
Money market	0%	40%		

^{*}Debt Securities under Liquid Fund shall only comprise of short term securities

- **8.2** We shall have the discretion to select the investments and/or make the investments under each Unit Linked Fund, having regard to the investment objectives of the respective Unit Linked Fund subject to our investment norms and policies.
- 8.3 On the happening of events including but not limited to extreme volatility of markets/Force Majeure conditions, we may close one or more of the Unit Linked Funds with prior approval from IRDA. In the event of closure or discontinuance of any Unit Linked Fund, we shall give you prior notice of at least three months stating our intention to discontinue or close a Unit Linked Fund and provide you with options of switching free of cost to other Unit Linked fund(s) offered by us. In such a case, you shall exercise the option within the time limits provided in the notice, failing which we may switch the Funds to another Unit Linked Fund with prior approval from IRDA with a view to secure timely closure of the fund.
 - The term "Force Majeure" refers to situations including Acts of State, changes to laws/regulations, Acts of God including natural calamities, or other circumstances beyond the control of the parties to contract like war, external aggression etc which precludes a party to contract from fulfilling his obligations under the contract.
- 8.4 The Company may at a later date subject to prior approval of IRDA introduce a new Unit Linked Fund, apart from those mentioned in Clause 8.1. The Policyholder shall be entitled to switch to the said newly introduced Unit Linked Fund as any other Fund mentioned in Clause 8.1 subject to such terms and conditions that may be approved by the Authority.

9 Units

9.1 The Units shall have a nominal value of ₹10/- each at the inception of the Unit Linked Fund. The Units shall be purchased and cancelled at the Unit Price applicable on the date of transaction as per these terms and conditions. The Unit Price shall be computed to three decimal points. Units will be allocated up to four decimal points. The Unit Price will be declared as soon as may be possible after close of every Business Day.

9.2 Allocation of Units

- (i) Units against the first premium received by us shall be allocated on the Policy Commencement Date after deduction of applicable Charges.
- (ii) Allocation of Units against subsequent premiums shall be made on the basis of the closing NAV of the following dates or premium due date whichever is later:
- (a) Closing NAV of the same day in case of payments by local cheques or demand drafts received at the Office of the Company at or before 3.00 PM on any Business Day.
- **(b)** Closing NAV of the subsequent Business Day in case of payments received by local cheques or demand drafts at the Office of the Company after 3.00 PM on any Business Day.
- (c) Closing NAV of the date of realization by the Company in case of payments made by outstation cheques or through ECS, Standing Instructions and Auto Debits. However, in case the payments made through Credit/ Debit Cards or net banking, the Closing NAV of the date on which the payment is made or the premium due date, whichever is later, will be considered for allocating the Units. However, in case the transaction is made after 3:00 PM then the closing NAV of the next working date or the premium due date, whichever is later, will be considered for allocation of Units.
 - In case of registration of death claim or a request for partial withdrawal, switch or surrender received at the Company's Office prior to 3.00 PM on any Business Day, the same would be processed based on the closing NAV of that day. The closing NAV of the next Business Day would be applied in case of all requests received at the Company's Offices after 3.00 PM on any Business Day.
- (iii) The above cut-off timings are as per regulations prevailing on the Policy Commencement Date, which can change from time to time with change in regulations.

9.3 Computation of Net Asset Value ("NAV")

Net Asset Value shall be calculated on all Business Days in accordance with the IRDA's guidelines in force from time to time.

10 Valuation of Unit Linked Funds

The calculation made by us in regard to the valuation of its Unit Linked Funds is final and binding for all purposes except in case of manifest error. The valuation of assets of the Unit Linked Funds shall be made as per the applicable Regulations and valuation norms of the Company in effect from time to time.

^{**}These are subject to revision as guided by Authority from time to time. The said fund cannot be opted by the Policyholder but shall be applicable in accordance with Discontinuance of Policy.

11. General Conditions

- 11.1 All options, rights and obligations under this policy vest with the Policyholder, and shall be discharged by the Policyholder. If the policy has been issued on the life of a minor, the policy will automatically vest in him/her on attaining age of majority (18 years) and thereafter the Life Assured would be the Policyholder, subject to policy not being assigned. In case the policy is assigned prior to Life Assured attaining age of majority, Auto Vesting feature shall not be invoked until the effected Assignment is revoked.
- **11.2** The Policyholder shall be entitled to make assignment as per section 38 and nomination as per section 39 of the Insurance Act, 1938. An assignment of the Policy shall automatically cancel all nominations made.
- 11.3 We reserve the right to review, revise, delete and / or alter any of the terms and conditions of this policy, including without limitation the Benefits, the Charges other than those charges which are specifically stated to remain unchanged in this policy, the method, manner and timing of levy or recovery of the Charges or valuation of the investments and / or assets of the Unit Linked Fund and / or determination of the Unit Price, with the prior approval of IRDA. The terms of this policy shall also stand modified from time to time, to the extent of changes to the Regulations affecting the terms and conditions of this policy.
- 11.4 In issuing this policy, we have relied on the accuracy and completeness of information provided by you and any other declarations or statements made or as may be made in the Proposal form and associated documents. Subject to the provisions of the applicable Regulations, including Section 45 of the Insurance Act, 1938, in the event any such information, declaration or statement is found to be false or incorrect or any material information is found to be with held or misrepresented, we shall be entitled to terminate this policy. We shall in such a case terminate the Policy immediately by paying the Surrender Value and the Company shall cease to be liable for payment of any Benefit under the same.
- 11.5 The Age of the Life Assured has been admitted on the basis of the declaration made in the Proposal and/or in any statement, supporting document/proof provided in this regard. If the Age of the Life Assured is found to be different from that declared, the Company may, adjust the premium and/or the Benefits under this policy and/or recover the additional amounts, if any, as it deems fit. This policy sha II however become void from the policy Commencement Date, if the Age of the Policyholder at the policy Commencement Date is found to be higher than the maximum or lower than the minimum entry Age that was permissible under this policy at the time of its issue and the Fund Valu e if any, shall be returned to the Policyholder subject to deduction of applicable Charges.
- **11.6** The contact details and procedure to be followed in case of any grievance in respect of this policy is provided in the docume nt titled as "Grievance Redressal" annexed as Annexure 3.
- **11.7** It shall be the solely your responsibility to ensure compliance with all applicable provisions of the Regulations, including taxation laws, and payment of all applicable taxes in respect of the premium and Benefits or other payouts made or received under this policy
- 11.8 If the Policyholder or Nominee or anyone acting for any of them or with their knowledge makes any misleading, false or fraudulent claim then we shall be entitled to terminate this policy forthwith and pay only the Surrender Value and the Company shall cease to be liable for payment of any Benefit under the Policy, subject to the fraud or misrepresentation being established by the Company in accordance with Section 45 of the Insurance Act, 1938.
- 11.9 We shall dispatch the policy documents to you at the address for correspondence provided by you in the Proposal form through courier or post (ordinary/registered/speed post). In case the policy documents are returned undelivered, we may attempt to have the same delivered to you through alternative means.
- 11.10 Free look period: The Policyholder has the right to cancel the policy within 15 days from the date of receipt of the policy document, in case he/she does not agree with the terms and conditions of the policy. If the policyholder cancels the policy during free look period, the Company will refund the fund value on the date of cancellation plus the un-allocated premium (if any) plus any charge deducted by cancellation of units, after deducting proportionate risk charges and expenses incurred on medicals (if any) and stamp duty. In cases where the Policy is offered through distance marketing mode as defined under IRDA Guidelines on Distance Marketing of Insurance Products, the freelook provision shall be available for a period of 30 days from the date of receipt of the Policy Document.
- 11.11 We will replace a lost policy document when we are satisfied that it is lost. However we reserve the right to make investigations and to call for evidence of the loss of the policy document, as we may consider necessary before issuing a duplicate policy document. We may also charge a fee for the issue of a duplicate policy. Freelook cancellation will not be allowed for duplicate policy document issued to the Policyholder. However the Company may permit free look cancellation in such cases where after investigation, it is evident that the Customer has not received the original policy bond. In conducting electronic transactions, in respect of this policy, you shall comply with all such terms and conditions as prescribed by us. Such electronic transactions are legally valid and shall be binding on you.
- 11.12 This policy shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of India.
- 11.13 Section 45 of the Insurance Act, 1938. No policy of life insurance effected before the commencement of this Act shall, after the expiry of two years from the date of commencement of this Act and no policy of life insurance effected after the coming into force of this Act shall, after the expiry of two years from the date on which it was effected, be called in question by an insurer on the ground that a statement made in the proposal for insurance or in any report of a medical officer, or referee, or friend of the insured, or in any other document leading to the issue of the policy, was inaccurate or false, unless the insurer shows that such statement was on a material matter or suppressed facts which it was material to disclose and that it was fraudulently made by the Policyholder and that the Policyholder knew at the time of making it that the statement was false or that it suppressed facts which it was material to disclose. Provided that nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of Age at any time if it is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the Age of the Life Assured was incorrectly stated in the Proposal.
- 11.14 Non Zero Positive Claw-back Additions: Non Zero Positive Claw-back additions shall be credited to the Policy after completion of first five Policy years in line with Regulation 37 of IRDA (Linked Insurance Products) Regulations, 2013 as modified from time to time. This shall not be applicable in case the Fund value is in the Discontinued Policy Fund at the time of credit.

ANNEXURE 1 Charges

(i) Mortality Charges shall be levied on a monthly basis by way of cancellation of Units at the beginning of each month. The Mortality Charge shall apply on the sum at risk which shall be computed as follows:

Sum at risk = (Death Benefit as per Clause 2.1 - Fund Value)

The rates of Mortality Charge applicable are shown in Annexure 2. These rates would remain unchanged during the entire policy Term.

(ii) Premium Allocation Charge is a percentage of the premium received and is charged at the time of receipt of the premium.

Premium Allocation Charge is as follows, which shall remain unchanged during the entire premium payment term.:

Policy Year	Premium Allocation Charge as a percentage of the premium
1st Policy Year	8.4%
2nd to 3rd Policy Year	6.4%
4nd to 10th Policy Year	5.4%
11th Policy Year till end of premium paying term	NIL

(iii) Fund Management Charge is expressed as a percentage of Fund Value and is levied at the time of computation of the NAV by adjusting the Unit Price. Mentioned below is the current rates of Fund Management Charge for each of the Unit Linked Fund(s), which may be revised by the Company from time to time with the prior approval of IRDA, subject to a maximum of 1.35% per annum for each Unit Linked Fund available to Policyholder:

Unit Linked Fund	Fund Management Charge
Equity II Fund	1.35% per annum
Growth Plus Fund	1.35% per annum
Balanced Plus Fund	1.35% per annum
Debt Plus Fund	1.35% per annum
Liquid Fund	0.80% per annum

The Fund Management Charge for Discontinued Policy Fund shall be 0.50% per annum.

- (iv) Policy Administration Charge is expressed as a percentage of premiums and shall be charged on a monthly basis during the Policy Term by cancellation of Units. The current Policy Administration Charge shall be 0.05% of the annualized premium, per month. Policy Administration Charge shall be increased at the rate of twenty percent on the Policy anniversary after every five years starting from the fifth policy anniversary. Policy Administration Charge mentioned above shall be subject to a maximum of ₹416.67/- per month.
- (v) Partial Withdrawal Charge shall be deducted from the Fund Value by cancellation of Units at the time of partial withdrawals.

Any partial withdrawal made shall be net of Partial Withdrawal Charge mentioned as here under:

-		and the grant and the same and
	Number of Partial Withdrawal	Charge per Partial Withdrawal
	1 to 4 in a Policy Year	Nil
	Above 5 in a Policy Year	₹250/- per partial withdrawal

(vi) Switching Charge is levied on switching of Units from one Unit Linked Fund to another.

The current rate of Switching Charge levied by the Company is as follows:

		,
	Number of Switches	Charge per Switch
	1 to 6 in a Policy Year	Nil
	Above 6 in a Policy Year	₹250/- per switch

Switching Charge may be revised by the Company with the prior approval of IRDA, up to a maximum of ₹500/- per Switch.

(vii) Surrender/Discontinuance Charge is expressed as a percentage of the Fund Value/annual premium. Surrender Charge applicable to this policy is as follows (for this Policy Surrender Charge and Discontinuance Charge are the same):

Policy is surrendered / discontinued	Surrender / discontinued charges with	Surrender / discontinued charges with
during	annual premium up to ₹25,000/-	annual premium above ₹25,000/
01	Lower of 20% of (AP or FV) subject to a	Lower of 6% of (AP or FV) subject to
	maximum of ₹3000/-	maximum of ₹6,000/-
02	Lower of 15% of (AP or FV) subject to a	Lower of 4% of (AP or FV) subject to
	maximum of ₹2000/-	maximum of ₹5,000/-
03	Lower of 10% of (AP or FV)	Lower of 3% of (AP or FV) subject to
	subject to maximum of ₹1500/-	maximum of ₹4,000/-
04	Lower of 5% of (AP or FV) subject to	Lower of 2% of (AP or FV) subject to
04	maximum of ₹1,000/-	maximum of ₹2,000/-
05 and onwards	NIL	NIL

Note: - AP - Annual Premium, FV- Fund Value

Taxes on the above Charges, as applicable from time to time, shall be borne by the Policyholder.

(viii) Miscellaneous Charge: The actual medical expenses, if any incurred in case of increase in Sum Assured will be recovered by us by cancellation of units from the Policy, up to a maximum of ₹3000/-. This charge may be increased by us with prior approval from IRDA subject to a maximum limit of ₹5000/-.

Annexure 2 Mortality Charges p.a. per thousand sum at risk

Age l.b.d	Males	Females
07	0.400	0.400
08	0.400	0.400
09	0.400	0.400
10	0.380	0.400
11	0.450	0.400
12	0.530	0.400
13	0.650	0.380
14	0.713	0.450
15	0.770	0.530
16	0.823	0.650
17	0.873	0.713
18	0.919	0.770
19	0.961	0.823
20	0.999	0.873
21	1.033	0.919
22	1.063	0.961
23	1.090	0.999
24	1.113	1.033
25	1.132	1.063
26	1.147	1.090
27	1.159	1.113
28	1.166	1.132
29	1.170	1.147
30	1.170	1.159
31	1.171	1.166
32	1.201	1.170
33	1.246	1.170
34	1.308	1.171
35	1.387	1.201
36	1.482	1.246
37	1.593	1.308
38	1.721	1.387
39	1.865	1.482
40	2.053	1.593
41	2.247	1.721
42	2.418	1.865
43	2.602	2.053
44	2.832	2.247
45	3.110	2.418
46	3.438	2.602
47	3.816	2.832
48	4.243	3.110
49	4.719	3.438
50	5.244	3.816
51	5.819	4.243
52	6.443	4.719
53	7.116	5.244

Age I.b.d	Males	Females
54	7.839	5.819
55	8.611	6.443
56	9.433	7.116
57	10.294	7.839
58	11.025	8.611
59	11.951	9.433
60	13.073	10.294
61	14.391	11.025
62	15.904	11.951
63	17.612	13.073
64	19.516	14.391
65	21.615	15.904
66	22.724	17.612
67	25.617	19.516
68	28.823	21.615
69	32.372	22.724
70	36.294	25.617
71	40.623	28.823
72	45.392	32.372
73	50.639	36.294
74	56.404	40.623
75	62.728	45.392
76	69.655	50.639
77	77.231	56.404
78	85.502	62.728
79	94.519	69.655
80	104.331	77.231
81	114.992	85.502
82	126.553	94.519
83	139.067	104.331
84	151.077	114.992
85	162.298	126.553
86	174.149	139.067
87	186.638	151.077
88	199.775	162.298
89	213.560	174.149
90	227.995	186.638
91	243.072	199.775
92	258.782	213.560
93	275.109	227.995
94	292.031	243.072
95	309.522	258.782
96	327.549	275.109
97	346.073	292.031
98	365.052	309.522
99	384.436	327.549

Note: The rates mentioned above are the standard mortality rates offered by the Company in respect of this plan. In case the policy has been issued on revised terms, the mortality charges mentioned in the revised term shall be applicable.

इस पॉलिसी के अंतर्गत निवेश संविभाग में निवेश जोखिम का वहन पॉलिसीधारक करेगा केनरा HSBC ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ग्रो स्मार्ट प्लान

UIN – 136L016V02 **ਰਿਧਸ एवं शर्तै**

परिचय और परिभाषाएं

1.1 यह पॉलिसी प्रलेख पॉलिसीधारक और केनरा HSBC ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच वैधानिक संविदा को प्रमाणित करता है, जिसे प्रस्ताव फॉर्म और बीमाकृत व्यक्ति की बीमा योग्यता को प्रमाणित करने वाले अन्य दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया है। यह एक यूनिट लिंक्ड पॉलिसी है जो पॉलिसीधारक को मृत्यु लाभ प्राप्त करने और चुकाए गए प्रीमियम के लिए आवंटित यूनिटों की सीमा तक निधि के निवेश प्रदर्शन में भाग लेने में समर्थ बनाती है। पॉलिसी, पॉलिसीधारक को कंपनी के कारोबार के लाभों या अधिशेष में भागीदारी/शेयर करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

संदर्भ और पठन में सरलता के लिए इन शर्तों एवं निबंधनों को क्रमांकित खंडों में विभाजित किया गया है। ये विभाजन और तदनुरूपी खंड के शीर्षक किसी भी रूप में पॉलिसी या इसकी व्याख्या को सीमित नहीं करते हैं। किसी अधिनियम, विनियम, दिशानिर्देश इत्यादि से संबंधित संदर्भ में, इसमें बाद में किए गए बदलाव शामिल होंगे। 'आयु' से संबंधित सभी संदर्भों का अर्थ पिछले जन्मदिन पर आयु होगा। इस दस्तावेज में प्रयुक्त 'आप', 'आपका' शब्दों का उपयोग पॉलिसीधारक के लिए किया गया है और पॉलिसीधारक के बीमाकृत व्यक्ति न होने की स्थिति में भुगतान के उद्देश्यों के लिए इसमें नामिति/दावाकर्ता शामिल हैं। 'हम', 'हमें', 'कंपनी' या 'हमारा' शब्दों का इस्तेमाल केनरा HSBC ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए किया गया है। ''प्राधिकरण'' शब्द का इस्तेमाल बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) के लिए किया गया है।

1.2 परिभाषाएं

- (क) **कार्य दिवस** का तात्पर्य अवकाश से इतर उस दिन से है जिस दिन राष्ट्रव्यापी टर्मिनलों वाला राष्ट्रीय शेयर बाजार व्यापार के लिए खुला रहता है (उस दिन को छोड़कर जिस दिन शेयर बाजार टेस्टिंग के लिए खुले रहते हैं) या ऐसा कोई दिन जिसे प्राधिकरण द्वारा कार्यदिवस के रूप में घोषित किया गया हो;
- (ख) बंद करने की तारीख से तात्पर्य उस दिन से है जिस दिन हम जारी किए गए नोटिस पर आपका जवाब प्राप्त करते हैं या नोटिस अविध की समाप्ति की तारीख, इनमें से जो भी पहले हो;
- (ग) बंद पॉलिसी फंड (ULIF01319/09/11POLDISCFND136) से तात्पर्य कंपनी द्वारा बनाए गए पृथक्कृत फंड से है, जिसमें ऐसी पॉलिसियों, जो लॉक-इन-पीरियड के दौरान अभ्यर्पित कर दी गई हैं या जिनके प्रीमियम का भुगतान बंद कर दिया गया है, के अंतर्गत यथा लागू बंद करने के प्रभार काटने के अध्यधीन जमा फंड वैल्यु जमा की जाती है, और इस पॉलिसी की नियम एवं शर्तों के अनुसार इनका भुगतान संबंधित पॉलिसीधारक को किया जाएगा, केवल बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले को छोड़कर, जिसमें फंड वैल्यु का भुगतान तत्काल किया जाता है। कंपनी अनुलग्नक -1 में उल्लिखित फंड प्रबंधन प्रभार वसूल करेगी। बंद पॉलिसी फंड में जमा की गई रकम पर कम से कम न्यूनतम गारंटीशुदा ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा:
- (घ) वितीय वर्ष का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से श्रू होने वाली 12 महीने की अविध से है।
- (ङ) फंड वैल्यु का तात्पर्य किसी भी समय पर पॉलिसी के अंतर्गत यूनिटों की संख्या को यूनिट के मृत्य से गुणा करने पर प्राप्त होने वाले मृत्य से है;
- (च) **लॉक-इन पीरियड** का तात्पर्य पॉलिसी शुरू होने की तारीख के बाद के पांच क्रमागत वर्षों से है जिसके दौरान, बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले को छोड़कर, अन्य किसी स्थिति में, इस पॉलिसी के अंतर्गत किसी लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा;
- (छ) न्यूनतम गारंटीड ब्याज दर का तात्पर्य बंद पॉलिसी फंड पर लागू उस दर से है जिसकी घोषणा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर की जाती है। मौजूदा ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष है;
- (ज) शुद्ध परिसंपति मूल्य ("NAV") का तात्पर्य यूनिट लिंक्ड फंड के तहत निवेश के बाजार मूल्य जमा किसी चालू परिसंपति का मूल्य और फंड प्रबंधन प्रभारों (उस पर लागू कोई सेवा कर सहित) के निवल की कोई संचित आय घटा किसी चालू देयता या प्रावधान का मूल्य, यदि कोई हो, से है;
- (झ) चुकता बीमाकृत रकम का तात्पर्य परिकलित बीमाकृत रकम को चुकता प्रीमियम की कुल संख्या से गुणा करके प्राप्त रकम को पॉलिसी अविध के दौरान देय प्रीमियम की संख्या से भाग देकर प्राप्त होने वाली रकम से है;
- (ञ) दोबारा शुरू करने की अवधि का तात्पर्य 2 वर्ष की आनुक्रमिक अवधि है जिसके दौरान पॉलिसीधारक पॉलिसी को पुन: चालू करवाने का हकदार है;
- (ट) **यूनिट मूल्य** का तात्पर्य शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य को संबंधित यूनिट लिंक्ड फंड की बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त फंड के तहत एक यूनिट के मूल्य से है;
- (ठ) पॉलिसी वर्ष का तात्पर्य पॉलिसी शुरू होने की तारीख से शुरू होकर प्रथम पॉलिसी वर्षगांठ से ठीक पहले वाले दिन पर समाप्त होने वाली 12 कैलेंडर महीनों की अविध और तत्पश्चात पॉलिसी अविध के दौरान 12 क्रमागत महीनों की प्रत्येक अनुवर्ती अविध से है;
- (ड) बंद पॉलिसी फंड की आय से तात्पर्य न्यूनतम गारंटीड ब्याज दर पर परिकलित ब्याज को जोड़ने के पश्चात बंद करने की तारीख पर संबंधित पॉलिसीधारक की फंड वैल्यु (घटा लागू बंद करने के प्रभार) से है। बंद पॉलिसी फंड में न्यूतम गारंटीड ब्याज दर से अर्जित अतिरिक्त आय भी बंद पॉलिसी फंड की आय निकालते समय अनुभाजित की जाएगी और कंपनी द्वारा अनुभाजित नहीं की जाएगी;
- (ढ) यूनिट का तात्पर्य अंतर्निहित पृथक्कृत यूनिट लिंक्ड फंड के अंश या भाग से है;
- (ण) 'जोखिम शुरू होने की तारीख', 'पॉलिसी शुरू होने की तारीख', 'पॉलिसी अवधि', 'बीमाकृत रकम', 'बीमाकृत व्यक्ति', 'प्रीमियम भुगतान अवधि', 'पॉलिसीधारक', 'नामिति' और नियुक्त व्यक्ति' शब्दों का तात्पर्य संबंधित तारीखों, राशि या पॉलिसी अनुसूची में उनमें से प्रत्येक के सामने वर्णित नामों से है।
- 2. केनरा HSBC ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ग्रो स्मार्ट प्लान के अंतर्गत लाभ

2.1 मृत्यु लाभ

- (क) यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी अविध के दौरान, जोखिम शुरू होने की तारीख को या उसके बाद हो जाती है और पॉलिसी चालू रहती है तथा पॉलिसी अभ्यिपित नहीं की गई है और इस संबंध में दावा स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम आपको मृत्यु लाभ के रूप में निम्नलिखित से अधिक का भुगतान करेंगे.
- (i) बीमाकृत रकम घटा आंशिक निकासी, यानी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु से पहले के दो सालों के दौरान की गई कोई आंशिक निकासी, यदि कोई हो। यदि मृत्यु के समय बीमाकृत व्यक्ति की आयु 60 साल या उससे अधिक है तो बीमाकृत व्यक्ति की उम्र 58 साल पूरी होने के बाद की गई सभी आंशिक निकासियों की कटौती की जाएगी;
- (ii) हमारे द्वारा मृत्यु दावे का पंजीकरण करने की तारीख को फंड वैल्यु;
- (iii) सभी चुकता प्रीमियों का एक सौ पांच प्रतिशत;

- (ख) यदि बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु उस दौरान हो जाती है जब आपकी पॉलिसी की फंड वैल्यु बंद पॉलिसी फंड में है तो मृत्यु दावे का पंजीकरण करने की तारीख को हमारे पास मौजूद बंद पॉलिसी फंड के लाभों का आपको भुगतान किया जाएगा।
- (ग) अगर बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पॉलिसी के प्रदत्त (चुकता) स्थिति में रहने के दौरान हो जाती है और पॉलिसी अभ्यर्पित नहीं की गई है तथा दावा स्वीकार कर लिया जाता है तो हम मृत्यु लाभ के रूप में निम्नलिखित से अधिक का भुगतान करेंगे:
- (i) चुकता बीमाकृत रकम घटा बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु से पहले के दो सालों के दौरान की गई आंशिक निकासी, यदि कोई हो। यदि मृत्यु के समय बीमाकृत व्यक्ति की आयु 60 साल या उससे अधिक है तो बीमाकृत व्यक्ति की उम्र 58 साल पूरी होने के बाद की गई सभी आंशिक निकासियों की कटौती की जाएगी;
- (ii) हमारे द्वारा मृत्यु दावे का पंजीकरण करने की तारीख को फंड वैल्यु;
- (iii) सभी चुकता प्रीमियमों का एक सौ पांच पांच प्रतिशत;

टिप्पणी: यदि बीमाकृत ट्यक्ति जोखिम शुरू होने की तारीख से एक साल के अंदर या पॉलिसी को फिर से शुरू कराने की तारीख से एक साल के अंदर पूरे होशो-हवाश या उन्माद में किसी कारण से आत्महत्या कर लेता है तो पॉलिसी के तहत कोई मृत्यु लाभ देय नहीं होगा और केवल कंपनी में मृत्यु दावे का पंजीकरण करने की तारीख को मौजूद फंड वैल्यु का भुगतान किया जाएगा। मृत्यु की तारीख के बाद यदि कोई प्रभार वसूला गया है तो वह भी फंड वैल्यु के साथ वापस किया जाएगा।

उपरोक्त लाओं का भुगतान करने या लागू कानून के अनुरूप नियम एवं शर्तों के अनुसार, इस पॉलिसी के तहत लाओं का भुगतान नहीं किए जाने के हमारे निर्णय की सूचना देने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

2.2 मृत्यु लाभ संबंधी दावों के लिए औपचारिकताएं

बीमांकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की स्थिति में इस पॉलिसी के तहत देय लाओं को प्राप्त करने के लिए नामिति मृत्यु की तारीख से 60 दिनों के अंदर मूल पॉलिसी दस्तावेज , हमारे द्वारा मुहैया कराया गया दावा फॉर्मेट (दावाकर्ता का कथन, इलाज करने वाले अस्पताल का प्रमाणपत्र, चिकित्सक का कथन, नियोक्ता का प्रमाणपत्र), मृत्यु प्रमाणपत्र, प्रथम स्चना रिपोर्ट, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट (यदि लागू हो), अपनी पहचान और पते का प्रमाण, अस्पताल का रिकॉर्ड/अन्य चिकित्सा रिकॉर्ड और आपके दावे का मूल्यांकन करने के लिए हमारे द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेजों सिहत दावा सूचना फार्म के जिरए इसके बारे में हमें लिखित में बताने का प्रयास करेगा।

2.3 निष्ठा परिवर्धन

पॉलिसी के तहत सभी देय प्रीमियम का भुगतान कर दिए जाने की स्थिति में हम पंद्रहवें पॉलिसी वर्ष की समाप्ति पर इस पॉलिसी के तहत रखे गए आपके यूनिट खाते में निष्ठा परिवर्धन के रूप में अतिरिक्त यूनिटें जमा करेंगे। निष्ठा परिवर्धन युनिट 15वें पॉलिसी वर्ष के अंत में आपकी पॉलिसी की फंड वैल्यु के 1 प्रतिशत के समतुल्य होगी। फंड वैल्यु में निष्ठा परिवर्धन जमा करने के बाद ये गारंटीड हो जाती हैं।

3. प्लान की खास-खास विशेषताएं

3.1 बीमाकृत रकम में वृद्धि/कमी करना

पांच पॉलिसी वर्ष पूरे होने और तब तक देय प्रीमियमों का भुगतान करने के बाद, आप शेष पॉलिसी अविध के दौरान किसी भी समय देय प्रीमियम या पॉलिसी की अविध में बदलाव किए बिना हमसे बीमाकृत रकम में वृद्धि/कमी करने का अनुरोध कर सकते हैं। बीमाकृत रकम में ऐसी कमी/वृद्धि एक पॉलिसी वर्ष में एक बार और पूरी पॉलिसी अविध में अधिकतम तीन बार की जा सकती है। इसके लिए आपको अगली पॉलिसी वर्षगांठ से कम से कम दो महीने पहले हमें लिखित में आवेदन पत्र देना होगा। ऐसे अनुरोधों पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

- (क) ऐसे अनुरोध करते समय बीमाकृत व्यक्ति को नाबालिग या 50 साल से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यदि वह नाबालिग है या उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तो अनुरोध के समय पर बीमाकृत रकम में केवल कमी करने का विकल्प उपलब्ध होगा;
- (ख) ऐसी वृद्धि/कमी, लागू विनियमों के अनुरूप, हामीदारी स्वीकृति के अध्यधीन होगी और परिणामस्वरूप अनुरोध की प्रकृति के आधार पर मृत्यु प्रभारों में कमी या वृद्धि हो सकती है;
- (ग) अनुलग्नक 1 में यथा परिभाषित चिकित्सा व्यय (यदि कोई किए गए हो)

3.2 आंशिक निकासियां

आपको छठे पॉलिसी वर्ष के बाद से या बीमाकृत व्यक्ति के 18 साल का पूरा होने पर, इनमें से जो भी बाद में हो, आंशिक निकासी का अधिकार है। एक बार में आप कम से कम रु. 10,000 की आंशिक निकासी कर सकते हैं। आंशिक निकासी के बाद कभी भी फंड वैल्यु पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक प्रीमियम के एक सौ बीस गुना से कम नहीं होनी चाहिए। की गई आंशिक निकासी अनुलग्नक 1 में यथा वर्णित आंशिक निकासी प्रभारों का निवल होगी। यदि पॉलिसी को पूरी तरह से समनुदेशित किया जाता है तो "समनुदेशिति" यहां इसमें दिए गए नियमों और शर्तों के अनुसार, आंशिक निकासी करने का पात्र होगा।

3.3 पुनर्निर्देशन

आपके पास पूर्व में उपयोग किए गए विकल्पों से विभिन्न निवेश पैटर्न में निवेश करने के लिए उपलब्ध एक या अधिक यूनिट लिंक्ड फंड्स में भावी प्रीमियम के आवंटन का पुनर्निर्देशन करने का विकल्प मौजूद है। पुनर्निदेशन दूसरे पॉलिसी वर्ष के बाद प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के दौरान केवल एक बार किया जा सकता है और इसे आपकी ओर से लिखित अनुरोध प्राप्त करने की तारीख पर किया जाएगा।

3.4 स्विचिंग

आप एक यूनिट लिंक्ड फंड से दूसरे में (पूर्णतः या अंशतः) स्विचिंग द्वारा अपने खाते में उपलब्ध यूनिटों के निवेश पैटर्न में परिवर्तन कर सकते हैं। स्विच की जाने वाली न्यूनतम राशि या स्विच की जाने वाली यूनिटों की वैल्यु रु. 10,000 होगी। स्विचिंग हेतु अनुरोधों में संबंधित फंड्स में स्विच की जाने वाली यूनिटों का प्रतिशत या स्विच की जाने वाली यूनिटों की वैल्यु को निरूपित करने वाली राशि दर्शाई जानी चाहिए। स्विचिंग प्रभार अनुलग्नक 1 में दिए गए हैं।

नियमित प्रीमियम और नियमित प्रीमियम का भुगतान बंद करने का प्रभावः

आप प्रीमियम का भुगतान नियमित अंतराल पर और पॉलिसी अनुसूची में दर्शाई अविध के लिए संबंधित देय तारीख को या छूट अविध (प्रीमियम देय तारीख से 30 दिन का समय) समाप्त होने से पहले कर सकते हैं। यदि कोई प्रीमियम देय तारीख से पहले प्राप्त होता है तो हम ऐसी राशि को प्रीमियम अग्रिम खाते में रख सकते हैं और ऐसी रकम को लागू देय तारीख पर प्रीमियम के लिए समायोजित कर देते हैं या ऐसी रकम आपको वापस कर दी जाती है। अग्रिम प्रीमियम खाते की राशि को देय तारीख से पहले यूनिटों में आवंटित नहीं किया जाएगा। सभी प्रीमियमों को अनुलग्नक 1 मे वर्णित प्रभारों को काटने के बाद आपके द्वारा चुने गए संबंधित यूनिट लिंक्ड फंड्स में आवंटित किया जाएगा।

4.1 नियमित प्रीमियम का भुगतान बंद होना

यदि किसी प्रीमियम की देय किश्त का भुगतान छूट अविध के अंदर नहीं किया जाता है तो हम छूट अविध समाप्त होने के बाद, 15 दिन के अंदर एक नोटिस भेजेंगे। आप ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का उपयोग कर सकते हैं:

4.1.1 लॉक-इन पीरियड के दौरान प्रीमियम का भुगतान बंद होने पर:

- (i) फिर से चालू करने की अवधि के दौरान पॉलिसी को पुन: चालू करना;
- (ii) पॉलिसी के बंद होने की तारीख से आरंभ होने वाली पुनः चालू करवाने की अविध के अंदर पॉलिसी को पुनः चालू करवाने की मंशा हमको सूचित करना; या
- (iii) बगैर किसी जोखिम कवर के पॉलिसी से पूर्ण निकासी।
 - <u>टिप्पणी</u>: पॉलिसीधारक द्वारा अपने विकल्प का इस्तेमाल करने तक या नोटिस अवधि समाप्त होने तक, इनमें जो भी पहले हो, पॉलिसी की नियम एवं शर्तों के अनुसार पॉलिसी जोखिम कवर के साथ चालू मानी जाएगी।
- 4.1.1.1 पॉलिसी बंद करने की तारीख पर, फंड वैल्यु घटा लागू बंद करने के प्रभार, बंद पॉलिसी फंड में ट्रांसफर की जाएगी और पॉलिसी जब्त कर ली जाएगी। यिद नोटिस अविध के दौरान विकल्प 4.1.1 (iii) का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो पॉलिसी अभ्यर्पित मानी जाएगी और खंड 5 में निर्दिष्ट अभ्यर्पण प्रावधान लागू होंगे। यिद पॉलिसीधारक ने किसी भी विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है तो ऐसी पॉलिसी पर उपरोक्त 4.1.1 (iii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 4.1.1.2 यदि पॉलिसीधारक खंड 4.1.1 (ii) के अनुसार पॉलिसी को दुबारा शुरू करने के अपने इरादे की सूचना देता है मगर फिर से चालू करने की अविध के दौरान पॉलिसी को पुन: चालू नहीं कराता है तो लॉक-इन-पीरियड के अंत में, बशर्ते कि फिर से चालू करने की अविध लॉक-इन पीरियड के अंत में समाप्त हो गई हो, बंद पॉलिसी फंड के लाभ पॉलिसीधारक को वापस किए जाएंगे।
- 4.1.1.3 यदि पॉलिसीधारक खंड 4.1.1 (ii) के अनुसार पॉलिसी को दुवारा शुरू करने के अपने इरादे की सूचना देता है मगर लॉक-इन पीरियड समाप्त होने से पहले साठ दिनों तक पॉलिसी को पुन: चालू नहीं कराता है, बशर्ते कि फिर से चालू करने की अविध लॉक-इन पीरियड के अंत में समाप्त नहीं हो गई हो, तो कंपनी लॉक-इन पीरियड समाप्त होने से पैतालीस दिन पहले पॉलिसीधारक को ऐसा नोटिस प्राप्त होने के तीस दिनों के अंदर निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का उपयोग करने का नोटिस भेजेगी:
- (i) पॉलिसी को त्रंत फिर से श्रू करना; या
- (ii) पॉलिसी के बंद होने की तारीख से आरंभ होने वाली पुन: चालू करवाने की अविध के अंदर पॉलिसी को पुन: चालू करवाने की सूचना;
- (iii) लॉक-इन पीरियड के अंत में लाभ का भुगतान करना; या
- (iv) फिर से शुरू करने की अवधि के अंत में लाभों का भुगतान करना।

यदि पॉलिसीधारक तीस दिन की नोटिस अविध के दौरान किसी भी विकल्प का इस्तेमाल नहीं करता है तो ऐसी पॉलिसी पर उपरोक्त 4.1.1.3 (iii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि पॉलिसीधारक विकल्प 4.1.1.3 (ii) चुनता है तो फंड वैल्यु, पॉलिसी के फिर से शुरू होने तक या पुनः शुरू करने की अविध के अंत तक, इनमें से जो भी पहले हो, बंद पॉलिसी फंड में रहेगी। यदि पॉलिसी पुन:चालू करने की अविध के अंदर फिर से शुरू नहीं की जाती है तो फिर से चालू करने की अविध समाप्त होने पर पॉलिसीधारक को बंद पॉलिसी फंड के लाभों का भगतान किया जाएगा।

4.1.2 लॉक-इन पीरियड के बाद प्रीमियम का भुगतान बंद होना:

- (i) पॉलिसी को तुरन्त पुन: चालू करना; या
- (ii) प्रीमियम बंद होने की तारीख से आरंभ होने वाली पुनः चालू करवाने की अविध के अंदर पॉलिसी को पुनः चालू करवाने की सूचना; या
- (iii) बगैर किसी जोखिम कवर के पॉलिसी से पूर्ण निकासी करना; या
- (iv) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 113(2) के अनुरूप चुकता बीमाकृत रकम सिंहत पॉलिसी को चुकता पॉलिसी में परिवर्तित करना अर्थात् पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार देय प्रीमियम की मूल संख्या के लिए चुकाए गए प्रीमियम की कुल संख्या से गुणा की गई बीमाकृत रकम। चुकता पॉलिसी के लिए लागू बीमाकृत रकम चुकता बीमाकृत रकम होगी।

<u>टिप्पणीः</u> पॉलिसीधारक द्वारा अपने विकल्प का इस्तेमाल करने तक या नोटिस अवधि समाप्त होने तक, इनमें जो भी पहले हो, पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार पॉलिसी जोखिम कवर के साथ चालू मानी जाएगी।

- 4.1.2.1 यदि नोटिस अविध के अंदर विकल्प 4.1.2 (iii) का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो पॉलिसी अभ्यर्पित मानी जाएगी और खंड 5 में निर्दिष्ट अभ्यर्पण प्रावधान लागू होंगे। यदि पॉलिसीधारक तीस दिनों की नोटिस अविध के अंदर किसी भी विकल्प का इस्तेमाल नहीं करता है तो ऐसी पॉलिसी पर उपरोक्त 4.1.2 (iii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 4.1.2.2 यदि विकल्प 4.1.2 (ii) का इस्तेमाल किया जाता है और पॉलिसीधारक न तो पॉलिसी को फिर से चालू करता है और न ही अभ्यर्पित करता है तो फिर से शुरू करने की अविध के अंत में या पॉलिसी अविध के अंत में, इनमें से भी पहले हो, पॉलिसी की यथा लागू फंड वैल्यु वापस की जाएगी। पुन: चालू करने की अविध समाप्त होने तक या पॉलिसी अविध समाप्त होने तक, इनमें से भी पहले हो, पॉलिसी इस पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार जोखिम कवर के साथ चालू मानी जाएगी।

4.1.3 फंड वैल्यु को बंद पॉलिसी फंड में ट्रांसफर करना

नोटिस अविधि के दौरान इस पॉलिसी के तहत आंशिक निकासी के अधिकार सिहत समस्त लाभ लागू रहेंगे और सभी प्रभारों की कटौती जारी रहेगी। यदि पॉलिसी को बंद करने की तारीख लॉक-इन पीरियड के दौरान की है तो कंपनी बंद प्रभार (यथा लागू) काटने के अध्यधीन फंड वैल्यु को बंद पॉलिसी फंड में ट्रांसफर करेगी।

4.2 पॉलिसी को पुन: चालू कराना

यदि नोटिस अविध समाप्त होने से पहले सभी देय प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है तो आप हमारे द्वारा जारी नोटिस में दी गई अविध के दौरान या फिर से शुरू करने की अविध के अंदर सभी देय प्रीमियमों के साथ एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करके पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर से शुरू करने करने के आवेदन की स्वीकृति हमारे द्वारा दी गई हामीदारी के अध्यधीन होगी। हमें पॉलिसी को इसकी मूल नियम एवं शर्तों के साथ या हमारी हामीदारी निर्णय के अनुसार अन्य या संशोधित नियम एवं निबंधनों पर फिर से शुरू करने का अधिकार है। पॉलिसी उस दिन से दुबार शुरू मानी जाएगी जिस दिन हम इसकी सूचना आपको लिखित में देंगे। फिर से शुरू करने के लिए प्राप्त प्रीमियम के लिए यूनिटों का आवंदन निम्नलिखित दो तारीखों के बाद लागू NAV के आधार पर किया जाएगा (i) हमारे द्वारा फिर से शुरू करने का आवेदन स्वीकार करने की तारीख; या (ii) फिर से शुरू करने के लिए सभी देय प्रीमियम प्राप्त होने की तारीख। पॉलिसी नीचे दी गई शर्तों के अधीन फिर से शुरू की जाएगी:

- (क) फिर से शुरू करने की अविध के अंदर पॉलिसी अविध समाप्त होने से पहले पॉलिसी कभी भी फिर से शुरू की जा सकती है;
- (ख) पॉलिसी को फिर से शुरू करना कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित हामीदारी संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार हामीदारी के अध्यधीन होगी;
- (ग) कंपनी की स्वीकृति की सूचना देने के बाद पॉलिसी फिर शुरू मानी जाएगी।

4.2.1 लॉक-इन पीरियड के दौरान बंद पॉलिसी को फिर से शुरू करना:

यदि पॉलिसीधारक बंद पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए विकल्प का इस्तेमाल करता है तो पॉलिसीधारक द्वारा बंद पॉलिसी फंड में से चुने गए पृथक्कृत फंड्स में किए गए निवेश के साथ जोखिम कवर को पुनर्बहाल करके और पॉलिसी के नियम एवं शर्तों के अनुसार लागू प्रभार घटाने के बाद पॉलिसी फिर से

शुरू की जा सकती है। कंपनी फिर से शुरू करते समय:

- (क) बगैर कोई ब्याज या शुल्क प्रभारित किए सभी देय और अदत प्रीमियम वसूल करेगी;
- (ख) बंद अविध के दौरान यथा लागू पॉलिसी संचालन प्रभार और प्रीमियम आवंटन प्रभार वसूल करेगी। कोई दूसरा प्रभार नहीं लिया लेगी;
- (ग) पॉलिसी को बंद करते समय काटे गए बंद करने के प्रभार वापस फंड वैल्यु में जोड़ेगी ;
- (घ) सभी लाभ पॉलिसी की मूल नियम एव शर्तों के अनुसार फिर से बहाल करेगी।

4.2.2 लॉक-इन पीरियड के बाद बंद पॉलिसी या चुकता पॉलिसी को फिर से शुरू करना:

यदि पॉलिसीधारक बंद पॉलिसी को फिर से शुरू करने के लिए विकल्प का इस्तेमाल करता है या चुकता पॉलिसी को फिर से शुरू करना चाहता है तो पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार पॉलिसी फिर से शुरू की जा सकती है। कंपनी फिर से शुरू करते समय:

- (क) बगैर कोई ब्याज या शुल्क प्रभारित किए सभी देय और अदत्त प्रीमियम वसूल करेगी;
- (ख) बंद अविध के दौरान यथा लागू प्रीमियम आवंटन प्रभार वसूल करेगी। कोई दूसरा प्रभार नहीं लेगी;
- (ग) पॉलिसी यदि चुकता हालत में है तो मूल बीमाकृत रकम पुनर्बहाल करेगी;
- (घ) सभी लाभ पॉलिसी की मूल नियम एवं शर्तों के अनुसार फिर से बहाल करेगी।

4.2.3 बंद हो चुकी या लॉक-इन अविध के बाद पेड-अप बन चुकी पॉलिसी को पुन: चालू करवाना:

जहां पॉलिसीधारक बंद पॉलिसी को पुन: चालू करवाने की विकल्प प्रयोग करता है या पेड-अप पॉलिसी को पुन: चालू करवाना चाहता है, वहां पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पॉलिसी को पुन: चालू किया जा सकता है। पुन: चालू करने के समय, कंपनी:

- (क) बिना कोई ब्याज या शुल्क वसूल किए सभी देय और अचुकता प्रीमियम लेगी;
- (ख) बंद रहने की अविध के दौरान यथालागू प्रीमियम आवंटन शुल्क वसूलेगी। अन्य कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा;
- (ग) अगर पॉलिसी पेड-अप अवस्था में थी तो मूल बीमाकृत रकम को फिर से बहाल करेगी;
- (घ) पॉलिसी के मूल निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सभी लाभों को फिर से बहाल करेगी;

5. अभ्यर्पण और समाप्ति

5.1 आप इस पॉलिसी को कभी भी अभ्यर्पित कर सकते हैं। अभ्यर्पण करने पर पॉलिसी के तहत जीवन बीमा समाप्त हो जाएगा, पॉलिसी समाप्त हो जाएगा और इसके बाद इसे पुनः चालू नहीं करा सकते। यदि पॉलिसी को लॉक-इन-पीरियड पूरा होने से पहले अभ्यर्पित किया जाता है तो इस पॉलिसी के तहत फंड वैल्यु को अनुलग्नक 1 में यथा वर्णित लागू अभ्यर्पण प्रभार काटने के बाद बंद पॉलिसी फंड में ट्रांसफर किया जाएगा और लॉक-इन-पीरियड के अंत में बंद पॉलिसी फंड के लाभों का आपको भुगतान किया जाएगा। यदि हमें अभ्यर्पण हेतु आवेदन लॉक-इन-पीरियड समाप्त होने के बाद प्राप्त होता है तो आपको फंड वैल्यु का तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

5.2 पॉलिसी की स्वतः समाप्ति

यदि आप इस पॉलिसी के तहत प्रथम पांच सालों तक सभी देय प्रीमियमों का भुगतान कर देते हैं और यदि पांच पॉलिसी सालों के बाद किसी भी समय फंड वैल्यु, बाजार के खराब प्रदर्शन के कारण किसी मासिक पॉलिसी वर्षगांठ पर एक वार्षिक प्रीमियम से कम हो जाती है तो यह पॉलिसी स्वतः समाप्त हो जाएगी और ऐसी समाप्ति की तारीख को फंड वैल्यु आपको देय होगी।

6 यूनिट खाता

इस पॉलिसी के लिए हम एक खाता रखेंगे जिसे यूनिट खाता कहते हैं, इसमें इस पॉलिसी के तहत प्राप्त होने वाले सभी प्रीमियम जमा किए जाएंगे और आपके द्वारा चुने गए अनुपात में संबंधित यूनिट लिंक्ड फंड्स में लागू प्रभारों का निवल जमा किया जाएगा। इस जमा राशि का उपयोग हमारे द्वारा इस पॉलिसी के संबंध में प्रस्तुत यूनिट लिंक्ड फंड में लागू NAV पर यूनिटों को खरीदने के लिए किया जाएगा।

7. **प्रभार**

हम इस पॉलिसी की अविध के दौरान, अनुलग्नक 1 में उल्लिखित प्रभार वसूल करेंगे। हमें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) की पूर्व अनुमित से प्रत्येक प्रभार के लिए दी गई अधिकतम सीमा तक प्रभारों को संशोधित करने का अधिकार है। सभी प्रभार, सेवा कर, जिसका वहन आपको करना होगा, सिहत लागू कर एवं लेवी (वर्तमान और भावी) के अधीन हैं।

8 यूनिट लिंक्ड फंड्स

8.1 पॉलिसी शुरू होने की तारीख पर हमारे द्वारा प्रस्तुत यूनिट लिंक्ड फंड्स और सूचक संविभाग आंवटन और ऐसे यूनिट लिंकड फंड्स के जोखिम संविभाग निम्नानुसार है:

1. इक्विटी ।। फंड (SFIN: ULIF00607/01/10EQUTYIIFND136)

परिसंपत्ति	न्यूनतम	अधिकतम	जोखिम	उद्देश्य
इक्विटी	60%	100%		विविध इक्विटियों में निवेशित संविभाग के संक्रिय प्रबंधन द्वारा दीर्घ-
मुद्रा बाजार	शून्य	40%	उच्च	काल के लिए पूंजी के मूल्य में वृद्धि करना

2. ग्र<u>ोथ प्लस फंड (SFIN: ULIF00913/09/10GROWTPLFND136)</u>

परिसंपत्ति		T -	जोखिम	->
पारसपात	न्यूनतम	अधिकतम	जाखम	<u>उद्देश्य</u>
इक्विटी	50%	90%	मध्यम	सावधी आय वाली प्रतिभूतियों में सीमित निवेश सहित इक्विटियों में
ऋण प्रतिभूतियां	10%	50%	से उच्च	प्रमुखता से निवेश करके पूंजी के मूल्य में वृद्धि हासिल करना।.
मुद्रा बाजार	शन्य	40%		

3. वैलेंस प्लस फंड (SFIN: ULIF01013/09/10BLNCDPLFND136)

परिसंपत्ति	न्यूनतम	अधिकतम	जोखिम	उद्देश्य
इक्विटी	30%	70%		इक्विटियों और सावधी आय प्रतिभूतियों में विवेकपूर्ण मिश्रित निवेश
ऋण प्रतिभूतियां	30%	70%	मध्यम	के जरिए पूंजी के मूल्य और मौजूदा आय में वृद्धि करना।
मुद्रा बाजार	शून्य	40%		

4. डेट प्लस फंड (SFIN: ULIF01115/09/10DEBTPLFUND136)

परिसंपत्ति	न्यूनतम	अधिकतम	जोखिम	उद्देश्य
ऋण प्रतिभूतियां	60%	100%	निम्न से	उच्च गुणवत्ता वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के जरिए नियमित
मुद्रा बाजार	शन्य	40%	मध्यम	आय अर्जित करना।

5. **लिक्विड फंड** (SFIN: ULIF00514/07/08LIQUIDFUND136)

11140 10 (c. 1111 c. 211 ccc 11/01/02/12/01/				
परिसंपत्ति	न्यूनतम	अधिकतम	जोखिम	उद्देश्य
ऋण प्रतिभूतियां*	कुछ नहीं	60%		उच्च जोखिम और उच्च स्तरीय तरलता के अनुपात में उचित
मुद्रा बाजार	40%	100%	निम्न	प्रतिफल प्राप्त करना।

6. बंद पॉलिसी फंड ** (SFIN: ULIF01319/09/11POLDISCFND136)

परिसंपत्ति	न्यूनतम	अधिकतम	जोखिम	उद्देश् य
सरकारी प्रतिभूतियां	60%	100%	निम्न	विनियमों के अनुरूप निर्धारित बंद पॉलिसयों से फंड्स पर उचित
मुद्रा बाजार	0%	40%	[6]8-6]	प्रतिफल प्राप्त करना।

^{*}लिक्विड फंड के तहत ऋण प्रतिभृतियों में केवल अल्पकालिक प्रतिभृतियां शामिल हैं।

- 8.2 हमें अपने निवेश संबंधी मानदंडों एवं नीतियों के अध्यधीन संबंधित यूनिट लिंक्ड फंड के निवेश उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक यूनिट लिंक्ड फंड के तहत निवेश का चुनाव करने और/या निवेश करने का अधिकार है।
- 8.3 बाजार की भारी अनिश्चितताओं / अपिरहार्य घटनाओं, जो यहीं तक सीमित नहीं हैं, की स्थितियों में हम IRDA की पूर्व अनुमित से एक या अधिक यूनिट लिंक्ड फंड को बंद कर सकते हैं। किसी यूनिट लिंक्ड फंड के समापन या बंद करने की स्थिति में, हम कम से कम तीन महीने पहले एक नोटिस देंगे जिसमें यूनिट लिंक्ड फंड के समापन या बंद करने के आशय की सूचना दी जाएगी और आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत यूनिट लिंक्ड फंड में नि:शुल्क स्विचेंग का विकल्प मुहैया कराया जाएगा। आपको नोटिस में दी गई समय-सीमा के अंदर विकल्प का उपयोग करना होगा, जिसमें विफल रहने की स्थिति में हम फंड का समय पर समापन करने के लिए IRDA की पूर्व अनुमित से फंड्स को दूसरे यूनिट लिंक्ड फंड में स्विच कर सकते हैं
 - "अपरिहार्य घटना" शब्दों का संबंध ऐसी परिस्थितियों से है जिनमें राज्य के अधिनियम, कानून ∕विनियमों में बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं सिहत दैवीय कृत्य या संविदा करने वाले पक्षों के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियाँ जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण इत्यादि जो पक्ष को संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने को असंभव बना देते हैं।
- 8.4 कंपनी IRDA की पूर्व अनुमित से खंड 8.1 में उल्लिखित यूनिट लिंक्ड फंड से अलग नए यूनिट लिंक्ड फंड्स शुरू कर सकती है। पॉलिसीधारक को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नियम एवं शर्तों के अध्यधीन खंड 8.1 में उल्लिखित किसी अन्य फंड की तरह नए शुरू किए गए यूनिट लिंक्ड फंड में स्विच करने का अधिकार होगा।

९ यूनिट

9.1 यूनिट लिंक्ड फंड की शुरूआत में यूनिटों का साधारण मूल्य रु. 10 प्रति यूनिट होगा। यूनिटों की खरीद और रद्दकरण इन नियम एवं शर्तों के अनुसार ट्रांजेक्शन की तारीख को लागू यूनिट के मूल्य पर किया जाएगा। यूनिट के मूल्य की गणना तीन दशमलव प्वाइंटों तक की जाएगी। यूनिटों का आवंटन चार दशमलव प्वाइंटों तक किया जाएगा। प्रत्येक कार्य दिवस के बाद जितनी जल्दी संभव हो सकता है उतनी जल्दी यूनिट के मूल्य की घोषणा की जाएगी।

9.2 युनिटों का आवंटन

- (i) प्रथम प्रीमियम के लिए हमारे द्वारा प्राप्त यूनिटों को लागू प्रभारों को काटने के बाद पॉलिसी शुरू होने की तारीख पर आवंटित किया जाएगा।
- (ii) बाद के प्रीमियमों के लिए यूनिटों का आवंटन निम्नलिखित तारीखों या प्रीमियम देय तारीख, जो भी बाद में हो, के इतिनव (Closing NAV) के आधार पर किया जाएगा:
- (क) यदि भुगतान, स्थानीय चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा कंपनी के कार्यालय में या किसी भी कार्य दिवस को अपराह्न 3.00 बजे या उससे पहले प्राप्त होता है तो उसी दिन का इतिनव (Closing NAV)।
- (ख) यदि भुगतान, स्थानीय चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा कंपनी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को अपराह्न 3.00 बजे के बाद प्राप्त होता है तो अगले कार्य दिवस का इतिनव (Closing NAV)।
- (ग) यदि बाहरी चेक या ECS, स्थायी अनुदेश और ऑटो डेबिट के जरिये भुगतान किया जाता है तो कंपनी द्वारा वस्त्री की तारीख का इतिनव (Closing NAV)। बहरहाल, यदि भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये किया जाता है तो उस दिन, जिस दिन भुगतान किया जाता है या प्रीमियम देय तारीख, जो भी बाद में हो, का इतिनव। यदि ट्रांजेक्शन अपराह 3 बजे के बाद की जाती है तो यूनिटों के आवंटन के लिए अगले कार्य दिवस या प्रीमियम देय तारीख, जो भी बाद में हो, के इतिनव पर विचार किया जाएगा।
 - यदि मृत्यु दावे के पंजीकरण या आंशिक निकासी या स्विच या अभ्यर्पण के अनुरोध कंपनी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में अपराह्न 3.00 बजे से पहले प्राप्त होते हैं तो उन पर उसी दिन के इतिनव (Closing NAV) के आधार पर कार्यवाही कर दी जाएगी। यदि सभी अनुरोध कंपनी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर अपराह्न 3.00 बजे के बाद प्राप्त होते हैं तो अगले दिन का इतिनव (Closing NAV) लागू होगा।
- (iii) उपरोक्त समय-सीमा पॉलिसी श्रूरू होने की तारीख पर प्रचलित विनियमों के अनुसार हैं, जिसमें विनियमों में बदलाव के साथ-साथ परिवर्तन हो सकता है।

9.3 शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य ("NAV") की गणना करना

शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य की गणना समय-समय पर लागू IRDA के दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी कार्य दिवसों के आधार पर की जाती है।

10. यूनिट लिंक्ड फंड्स का मूल्यांकन

अपनी यूनिट लिंक्ड फंड्स के मूल्यांकन के संबंध में हमारे द्वारा की गई गणना अंतिम है और यह स्पष्ट चूक को छोड़कर सभी उद्देश्यों के लिए बाध्यकारी है। यूनिट लिंक्ड फंड्स की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, लागू विनियमों और समय-समय पर लागू कंपनी के मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

^{**} ये प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्देशित संशोधनों के अध्यधीन हैं। उक्त फंड पॉलिसीधारक द्वारा नहीं लिए जा सकते मगर ये पॉलिसी को बंद करने के अनुसार लागू होंगे।

11. सामान्य शर्ते

- 11.1 इस पॉलिसी के तहत सभी विकल्प, अधिकार और दायित्व पॉलिसीधारक में निहित हैं और पॉलिसीधारक द्वारा इनका निरसन किया जाएगा। यदि पॉलिसी नाबालिंग के लिए जारी की गई है तो उसके बालिंग (18 साल) होने पर पॉलिसी स्वतः उसमें विहित हो जाएगी, तत्पश्चात बीमाकृत व्यक्ति पॉलिसीधारक होगा, बशर्ते कि पॉलिसी समनुदेशित न की गई हो। यदि बीमाकृत व्यक्ति के बालिंग होने से पहले पॉलिसी समनुदेशित कर दी जाती है, तो प्रभावी समन्देशन रद्द करने तक स्वतः निहित की विशेषता का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- 11.2 पॉलिसीधारक बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार समनुदेशन करने और धारा 39 के अनुसार नामांकन करने का हकदार होगा। पॉलिसी का समनुदेशन स्वतः किए गए सभी नामांकन को रद्द कर देगा।
- 11.3 हमें लाओं में कमी किए बिना, ऐसे प्रभारों, जिनके बारे में पॉलिसी में अपरिवर्तित रहने के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, को छोड़कर दूसरे प्रभारों सिहत इस पॉलिसी की नियम एवं शर्तों, प्रभारों की उगाही या वसूली की विधि, तौर-तरीको और समय, या यूनिट लिंक्ड फंड के निवेशों और/या पिरसंपितयों के मूल्यांकन और/या IRDA की पूर्व अनुमित से यूनिट के मूल्य के निर्धारण की समीक्षा करने, संशोधन करने, हटाने और या परिवर्तन करने का अधिकार है। इस पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों को प्रभावित करने वाले विनियमों में किए गए बदलाओं के अनुसार, समय-समय पर इस पॉलिसी की शर्तों में संशोधन किए जाएंगे।
- 11.4 हमने इस पॉलिसी को जारी करने में आपके द्वारा मुहैया कराई गई सूचना और प्रस्ताव फार्म और संबंधित दस्तावेजों में की गई कोई अन्य घोषणा या कथन की सत्यता और संपूर्णता पर भरोसा किया है। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 सिहत लागू विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन यदि कोई सूचना, घोषणा या कथन असत्य या गलत पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई या गलत तरीके से दी जाती है तो हमें इस पॉलिसी को समाप्त करने का हक होगा। ऐसे मामले में हम अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करके पॉलिसी को तुरंत समाप्त कर देंगे और कंपनी पॉलिसी के तहत फंड वैल्यु को जब्त कर सकती है।
- 11.5 बीमाकृत व्यक्ति की आयु प्रस्ताव फार्म और/या किसी कथन में की गई घोषणा या सपोटिंग दस्तावेज /इस संबंध में दिए गए प्रमाण के आधार पर स्वीकार की गई है। यदि बीमाकृत व्यक्ति की आयु और घोषित आयु में कोई अंतर पाया जाता है तो कंपनी इस पॉलिसी के तहत प्रीमियम और/या लाभ का समायोजन कर सकती है और/या अतिरिक्त राशि, यदि कोई है, वसूल सकती है, जो भी उचित हो। बहरहाल, यदि पॉलिसी शुरू होने की तारीख पर पॉलिसीधारक की आयु अधिकतम आयु से अधिक या प्रवेश की न्यूनतम आयु, जो जारी करते समय इस पॉलिसी के तहत अनुमेय थी, से कम पाई जाती है, तो लागू प्रभारों को काटने के बाद पॉलिसीधारक को फंड वैल्यु, यदि कोई है, वापस कर दी जाएगी।
- 11.6 संपर्क का विवरण और इस पॉलिसी के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अनुलग्नक 3 पर 'शिकायत निपटान' नाम के दस्तावेज में मुहैया कराई गई है।
- 11.7 कराधान नियमों सहित विनियमों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन करना और इस पॉलिसी के तहत प्रीमियम और लाभ या किए गए या प्राप्त किए गए अन्य पेआउट के संबंध में लागू सभी करों का भुगतान करने की पूरी जिम्मेदारी आप की होगी।
- 11.8 यदि पॉलिसीधारक या नामिति या उनमें से किसी एक के लिए काम कर रहा कोई व्यक्ति उनके संज्ञान में कोई भ्रामक, झूठा या फर्जी दावा करता है तो हमें पॉलिसी को फौरन समाप्त करने का अधिकार होगा और हम केवल फंड वैल्यु का भुगतान करेंगे तथा हमें कंपनी बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अनुसरण में कंपनी द्वारा स्थापित किए जा रहे धोखाधड़ी या गलतबयानी के अध्यधीन पॉलिसी के तहत किसी लाभ के भुगतान को रोकने का अधिकार होगा।
- 11.9 हम पॉलिसी दस्तावेजों को कुरियर या डाक (साधारण/पंजीकृत/स्पीड पोस्ट) से आपको आपके द्वारा प्रस्ताव फॉर्म दिए गए पत्राचार के पते पर भेजेंगे। यदि पॉलिसी दस्तावेज बिना डिलीवर हुए वापस आ जाते हैं तो हम इन्हें आपको किसी दूसरे माध्यम से भेजने का प्रयास कर सकते हैं।
- 11.10 पुनर्विचार अविधि (फ्री लुक पीरियड): अगर बीमाधारक पॉलिसी के शर्तों एवं निबंधनों से सहमत नहीं है तो उसे बीमा दस्तावेज प्राप्त होने के बाद से 15 दिन की अविधि के अन्दर पॉलिसी को रद्द करने का अधिकार है। यदि बीमाधारक पुनर्विचार अविध के दौरान बीमा को रद्द करवाता है तो कंपनी रद्द करवाने की तिथि पर फंड वैल्यू जमा गैर-आंविटत प्रीमियम (यदि कोई है) जमा यूनिटों को रद्द करवाने पर काटे गए किसी प्रभार को, समानुपातिक जोखिम प्रभारों और मेडिकल एवं स्टॉम्प डयूटी पर हुए व्यय (यदि कोई है) को काटने के बाद वापस करेगी। ऐसे मामले, जिनमें बीमा उत्पादों पर दूरस्थ विपणन के संबंध में IRDA के दिशानिर्देशों के तहत यथा परिभाषित दूरस्थ विपणन मोड के जरिये पॉलिसी ऑफर की गई है, उनमें पुनर्विचार का विकल्प पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने से 30 दिनों की अविध के लिए उपलब्ध रहेगा।
- 11.11 जब हम इस बात की संतुष्टि कर लेते हैं कि पॉलिसी दस्तोवज गुम हो गए हैं, हम इनके स्थान पर डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेज जारी करेंगे। बहरहाल, डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तावेज जारी करने से पहले हमें जांच करने या पॉलिसी दस्तोवज के गुम हो जाने का प्रमाण मांगने, जैसा भी उचित लगे, का अधिकार है। हम डुप्लीकेट पॉलिसी दस्तोवज जारी करने के बदले में शुल्क भी ले सकते हैं। बहरहाल, कंपनी ऐसे मामलों में पुनर्विचार रद्दीकरण की अनुमित दे सकती है जिनमें यह साबित हुआ है कि ग्राहक को मूल पॉलिसी बॉड प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पॉलिसी के संबंध में इलेक्ट्रोनिक ट्रांजेक्शन करते समय आपको हमारे द्वारा यथा निर्धारित ऐसे सभी शर्तों एवं निबंधनों का पालन करना होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन कानूनी रूप से वैध हैं और आपके लिए बाध्यकारी होंगे। 11.12 यह पॉलिसी भारत के कानून के अनुरूप व्याख्यित और शासित होगी।
- 11.13 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45। उस तिथि, जिस दिन से बीमा चालू हुआ है, से दो वर्ष पूरे होने पर, जीवन बीमा के किसी भी बीमा पर बीमाकर्ता द्वारा इस आधार पर कि प्रस्ताव में दिया गया विवरण, या चिकित्सा अधिकारी की रपट, या मध्यस्थ या बीमाधारक के मित्र अथवा बीमा के निर्गम के कारण किसी अन्य दस्तोवज में दिया गया विवरण गलत या मिथ्या थे, पर तब तक प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जब तक कि बीमाकर्ता यह प्रकट नहीं करता कि यह विवरण महत्वपूर्ण विषय या छिपाए गए तथ्यों पर आधारित थे, जिन्हें प्रकट करना आवश्यक था और जिन्हें बीमाधारक द्वारा कपटपूर्वक प्रकट किया गया था और जिनके बारे में बीमाधारक बीमा करते समय जानता था कि विवरण मिथ्या थे या छिपाए गए थे, जिन्हें प्रकट करना जरूरी था। परंतु इस धारा की कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती, बशर्ते कि उसे ऐसा करने का अधिकार हो, और किसी भी पॉलिसी पर केवल इस तथ्य के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता कि बाद के प्रमाण से पॉलिसी की शर्तों को सामयोजित कर लिया गया है और कि बीमाकृत व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।
- 11.14 गैर शून्य घनात्मक कर लगाकर वसूली परिवर्धन: समय-समय पर यथासंशोधित IRDA (लिंक्ड बीमा उत्पाद) विनियम 2013 के विनियम 37 के अनुपालन में, पहले पांच पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद गैर शून्य घनात्मक कर लगाकर वसूली परिवर्धन पॉलिसी के नामे डाले जाएंगे। अगर नामे डाले जाने के समय फंड वैल्यू, बंद पॉलिसी फंड में है तो यह लागू नहीं होगा।

अनुलग्नक 1: प्रभार

(i) मृत्यु प्रभार प्रत्येक माह के शुरू में यूनिटों के निरसन द्वारा मासिक आधार पर लिए जाएंगे। मृत्यु प्रभार जोखिमग्रस्त रकम पर लागू होगा जिसकी गण्ना निम्नानुसार की जाएगी:

जोखिमग्रस्त रकम = (खड 2.1 के अनुसार मृत्यु लाभ - फंड वैल्यु)

लागू होने वाले मृत्यु प्रभार अनुलग्नक 2 में दर्शाए गए हैं। ये दरें पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेंगी।

(ii) **प्रीमियम आवंटन प्रभार** प्राप्त प्रीमियम का एक प्रतिशत होता है और इसे प्रीमियम प्राप्ति के समय प्रभारित किया जाता है। प्रीमियम प्रभार निम्नानुसार हैं और ये संपूर्ण प्रीमियम भुगतान अविध के दौरान अपरिवर्तित रहेंगे:

3 "	
पॉलिसी वर्ष	प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम आवंटन प्रभार
पहला पॉलिसी वर्ष	8.4%
दूसरे से तीसरा पॉलिसी वर्ष	6.4%
चौथे से दसवां पॉलिसी वर्ष	5.4%
ग्यारहवें से प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक	शून्य

(iii) फंड प्रबंधन प्रभार को फंड वैल्यु के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें NAV की गणना के समय यूनिट के मूल्य में समायोजन द्वारा वसूल किया जाता है। नीचे दी गई दरें यूनिट लिंक्ड फंड (फंड्स) के लिए फंड प्रबंधन प्रभारों की वर्तमान दरें हैं, जिनमें पॉलिसीधारक के लिए उपलब्ध प्रत्येक यूनिट फंड के लिए अधिकतम 1.35% प्रतिवर्ष के अध्यधीन, IRDA की पूर्व अनुमित से समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है:

यूनिट लिंक्ड फंड	फंड प्रबंधन प्रभार
इक्विटी ॥ फंड	1.35% प्रतिवर्ष
ग्रोथ प्लस फंड	1.35% प्रतिवर्ष
बैलेंस्ड प्लस फंड	1.35% प्रतिवर्ष
डेट प्ल्स फंड	1.35% प्रतिवर्ष
लिक्विड फंड	0.80% प्रतिवर्ष

बंद पॉलिसी फंड के लिए फंड प्रबंधन प्रभार 0.50% प्रतिवर्ष होगा।

- (iv) पॉलिसी संचालन प्रभार को प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसे पॉलिसी अविध के दौरान यूनिटों के निरसन द्वारा मासिक आधार पर लिया जाएगा। मौजूदा पॉलिसी संचालन प्रभार, वार्षिक प्रमियम का 0.05% प्रतिमाह होगा। पांचवी पॉलिसी वर्षगांठ के बाद से हर पांच साल बाद पॉलिसी संचालन प्रभार में 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि की जाएगी। ऊपर वर्णित पॉलिसी संचालन प्रभार रु. 416.67 प्रतिमाह से अधिक नहीं होंगे।
- (v) **आंशिक निकासी प्रभार**, आंशिक निकासी के समय यूनिटों के निरसन द्वारा फंड वैल्यु में से काटे जाएंगे।

की गई कोई भी आंशिक निकासी यहां नीचे दिए गए आंशिक निकासी प्रभार का निवल होगी:

-171	नार्च नगर्च जा जातिका जिल्लामा निवास विर नार जातिका जिल्ला	(11 9011) 44 1014(1 (4-11.
3	नांशिक निकासी की संख्या	प्रभार प्रति आंशिक निकासी
Ч	हले से चौथे पॉलिसी वर्ष में	श्र्न्य
Ч	ांचवे पॉलिसी वर्ष के बाद	रु. २५० प्रति आंशिक निकासी

(vi) स्विचिंग प्रभार, यूनिटों को एक यूनिट लिंक्ड फंड से दूसरे यूनिट लिंक्ड फंड में स्विच करने पर वसूले जाते हैं।

कंपनी दूरा वसूले जाने वाले स्विचिंग प्रभार की मौजूदा दरें निम्नानुसार हैं:

स्विचों की संख्या	प्रभार प्रति स्विच
एक पॉलिसी वर्ष में 0 से 6	श्ल्य
एक पॉलिसी वर्ष में 6 से अधिक	रु. २५० प्रति स्विच

कंपनी द्वारा IRDA की पूर्व अनुमति से इस प्रभार में संशोधन करके इसे अधिकतम रु. 500 प्रति स्विच तक किया जा सकता है।

(vii) अभ्यर्पण प्रभार/बंद करने के प्रभार को फंड वैल्यु /वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस पॉलिसी पर लागू अभ्यर्पण प्रभार की दरें निम्नानुसार है (इस पॉलिसी के लिए अभ्यर्पण प्रभार और बंद करने के प्रभार एक ही हैं):

पॉलिसी वर्ष, जिनके दौरान पॉलिसी अभ्यर्पित/बंद कर दी जाती है	रु. 25,000 तक के वार्षिक प्रीमियम के लिए अभ्यर्पण/बंद करने के प्रभार	रु. 25,000 से अधिक वार्षिक प्रीमियम के लिए अभ्यर्पण/बंद करने के प्रभार
01	अधिकतम रु. 3000 के अध्यधीन (AP या FV) के 20 प्रतिशत का न्यूनतर	अधिकतम रु. 6000 के अध्यधीन (AP या FV) के 6 प्रतिशत का न्यूनतर
02	अधिकतम रु. 2000 के अध्यधीन (AP या FV) के 15 प्रतिशत का न्यूनतर	अधिकतम रु. 5000 के अध्यधीन (AP या FV) के 4 प्रतिशत का न्यूनतर
03	अधिकतम रु. 1500 के अध्यधीन (AP या FV) के 10 प्रतिशत का न्यूनतर	अधिकतम रु. 4000 के अध्यधीन (AP या FV) के 3 प्रतिशत का न्यूनतर
04	अधिकतम रु. 1000 के अध्यधीन (AP या FV) के 5 प्रतिशत का न्यूनतर	अधिकतम रु. 2000 के अध्यधीन (AP या FV) के 2 प्रतिशत का न्यूनतर
5 और उससे आगे	श्ट्य	शून्य

टिप्प्णी: AP - वार्षिक प्रीमियम, FV- फंड वैल्यु

उपरोक्त प्रभारों पर समय-समय पर यथा लागू करों का वहन पॉलिसीधारक द्वारा किया जाएगा।

(viii) विविध प्रभार: बीमाकृत रकम में वृद्धि के मामले में यदि कोई चिकित्सा व्यय वास्तव में किया जाता है तो इसे हमारे द्वारा यूनिटों के निरसन द्वारा या पॉलिसीधारक से अधिकतम रु. 3000 तक के अध्यधीन नगद के रूप में वसूला जाएगा। इस प्रभार को हमारे द्वारा IRDA पूर्व अनुमित से अधिकतम रु. 5000 तक किया जा सकता है।

अनुलग्नक 2 जोखिमग्रस्त रकम पर मृत्यु प्रभार प्रति वर्ष प्रति हजार

आयु पिछले जन्म	पुरुष	महिला
07	0.400	0.400
08	0.400	0.400
09	0.400	0.400
10	0.380	0.400
11	0.450	0.400
12	0.530	0.400
13	0.650	0.380
14	0.713	0.450
15	0.770	0.530
16	0.823.	0.650
17	0.873	0.713
18	0.919	0.770
19	0.961	0.823
20	0.999	0.873
21	1.033	0.919
22	1.063	0.961
23	1.090	0.999
24	1.113	1.033
25	1.132	1.063
26	1.147	1.090
27	1.159	1.113
28	1.166	1.132
29	1.170	1.147
30	1.170	1.159
31	1.171	1.166
32	1.201	1.170
33	1.246	1.170
34	1.308	1.171
35	1.387	1.201
36	1.482	1.246
37	1.593	1.308
38	1.721	1.387
39	1.865	1.482
40	2.053	1.593
41	2.247	1.721
42	2.418	1.865
43	2.602	2.053

आयु पिछले जन्म	पुरुष	महिला
44	2.832	2.247
45	3.110	2.418
46	3.438	2.602
47	3.816	2.832
48	4.243	3.110
49	4.719	3.438
50	5.244	3.816
51	5.819	4.243
52	6.443	4.719
53	7.116	5.244
54	7.839	5.819
55	8.611	6.443
56	9.433	7.116
57	10.294	7.839
58	11.025	8.611
59	11.951	9.433
60	13.073	10.294
61	14.931	11.025
62	15.904	11.951
63	17.612	13.073
64	19.516	14.391
65	21.615	15.904
66	22.724	17.612
67	25.617	19.516
68	28.823	21.615
69	32.372	22.724
70	36.294	25.617
71	40.623	28.823
72	45.392	32.372
71	50.639	36.294
74	56.404	40.623
75	62.728	45.392
76	69.655	50.639
77	77.231	56.404
78	85.502	62.728
79	94.519	69.655
80	104.331	77.231

टिप्पणी- ऊपर वर्णित मृत्यु प्रभार कंपनी द्वारा इस पॉलिसी के संबंध में पेश किए गए स्टैंडर्ड प्रभार हैं। यदि पॉलिसी संशोधित शर्तों पर जारी की गई है तो संशोधित शर्त में उल्लिखित मृत्यु प्रभार लागू होंगे।